GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI DIRECTORATE OF EDUCATION: SCHOOL BRANCH OLD SECRETARIAT: DELHI-110054.

No. DE.23 (397)/Sch.Br./2018/151

Dated: 30 1 2018

CIRCULAR

Subject: Cultural Talent Search Scholarship Scheme (CTSSS) 2018-19.

Please find enclosed the letter along with application forms from Centre for Cultural Resources and Training on the subject cited above, all the Heads of Govt., Govt. Aided and Recognized Unaided Schools under Directorate of Education are to inform about this scheme to the students of their respective schools. Applications received from eligible students may be submitted directly to Centre for Culatural Resources and Training.

This issues with the prior approval of Competent Authority.

DDE (SCHOOL)

Encl. As above.

All Heads of Govt., Govt. Aided and Recognized Unaided Schools under Directorate of Education through DEL-E

No. DE.23 (397)/Sch.Br./2018/15/

Dated: 30 1/2018

Copy to:-

- 1. PS to Principal Secretary (Education).
- 2. PS to Director (Education).
- 3. All RDEs and DDEs (District/Zone).
- 4. Deputy Director, CCRT for information.
- 5. OS (IT) for uploading on MIS.
- 6. Guard File

DEO (SCHOOL)

Addr. DE (Sm)



Rishi Vashist
Deputy Director

Centre for Cultural Resources and Training

(Under the aegis of Ministry of Culture, Govt. of India)

CCRT/27011/1/2017/508

January 01, 2018

\(\)

Dear श्रीमती कोशिक ती,

Subject: Request for recommending the applications of talented children (10-14 years) for Cultural Talent Search Scholarship Scheme (CTSSS) 2018-19, Last date: 31st January, 2018.

At the outset, I take this opportunity to express my grateful thanks for your kind support and cooperation, we have received in this year in CCRT's training programmes.

As you are aware that CCRT has been implementing the Cultural Talent Search Scholarship Scheme to provide training facilities to outstanding young children selected in the age group of 10 to 14 years for developing their talent in the various artistic fields such as music, dance, drama, painting, sculpture, craft, creative writing & literary arts etc.

CCRT has invited applications from children for award of scholarships for the year 2018-19. The Scheme has been recently advertised in various newspapers in all the States and UTs on December 20, 2017. However CCRT would request your kind self to help us in identifying talented children practicing performing, visual & literary art forms by obtaining their applications and forwarding them to CCRT, New Delhi so as to reach on or before January 31, 2018. The same application form may please be photocopied or downloaded from CCRT's website: www.ccrtindia.gov.in also.

May I request you to kindly give wide publicity to the scheme in your State(s)/UT(s). Please find enclosed 05 sets of Application Forms for free distribution.

Looking forward to receiving your kind help in the activities of the CCRT & with best wishes for an Educationally & Culturally Rich New Year 2018.

Thanking you,

Yours sincerely

(Rishi Vashist)

Smt. SunitaKaushik Additional Director, Directorate of Education, Old Secretariat,

Delhi


· Suera Mr. Rollade

15A,Sector-7, Dwarka, New-Delhi-110075, Phones: 25309300,Extn.25309337 & 25309338 Fax: 91-11-25088637

email: ddsch.ccrt@nic.in, sch.ccrt@gov.in website: www.ccrtindia.gov.in

1005

23/2011/18 29/1/18





सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र Centre for Cultural Resources and Training

(Under the aegis of Ministry of Culture, Govt. of India)

ऋषि वशिष्ठ उपनिदेशक

सीसीआरटी/27011/1/2017/

प्रिय महोदय/महोदया.

कपया सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र की **सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना 2018-19** में भाग लेने हेतु संलग्न आवेदन पत्र प्राप्त करें।

पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन-पत्र, फोटोग्राफ, संबंधित प्रमाण-पत्रों, दस्तावेजों तथा नवीनतम कार्य के नमुनों के साथ दिनांक 31 जनवरी, 2018 तंक या उससे पहले, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र , नई दिल्ली में अवश्य पहुंच जाना चाहिए।

कपया ध्यान दें कि अपूर्ण या दश्य कलाओं, सजनात्मक लेखन व साहित्यिक कलाओं के क्षेत्र में नवीनतम कार्यों के नमनों तथा आवश्यक स्वयं स्त्यापित पत्रों प्रमाण के बिना और पुराने/पिछले वर्षों के आवेदन पत्रों में प्रस्तुत तथा अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और इनके बारे में कोई पत्राचार भी नहीं किया जाएगा।

प्रति वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर सभी क्षेत्रों में कुल 650 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। जिनमें 100 छात्रवित्तयाँ जनजातीय संस्कृति/अनुसूचित जनजाति (ST) बच्चों (जिनके पास वैद्य अनुसूचित जनजात प्रमाण पत्र है), 20 छात्रवृतियाँ दिव्यांग बच्चों के लिए (जिनके पास वैद्य दिव्यांग प्रमाण-पत्र है), 30 छात्रवृत्तियाँ सृजनात्मक लेखन/साहित्यिक कलाओं के क्षेत्र में सक्रिय बच्चों (जिनके पास अपने मूल कार्य के प्रमाण हैं) तथा 125 छात्रवृत्तियाँ परम्परागत कला घरानों के बच्चों (जो कम से कम पूर्व में 03 पीढियों से कला क्षेत्रों में निरन्तर अभ्यासरत हैं) के लिए चिन्हित की गई है। छात्रवृत्तियाँ वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि होने पर ही, प्रदान की जानी हैं और हमारे देश में सैंकड़ों कला शैलियों के परिपेक्ष्य में उपलब्ध छात्रवृत्तियों की संख्या सीमित है, अत: सभी योग्य बच्चों के आवेदन पत्रों की जांच के पश्चात् केन्द्रीय चयन समिति द्वारा केवल उपयुक्त बताए गए छात्र/छात्राओं को ही साक्षात्कार की तिथि, समय तथा स्थान के बारे में डाक द्वारा सूचित किया जाएगा जो कि संभवत: मई, 2018 से प्रादेशिक स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। अभिभावकों/गुरुओं से अनुरोध है कि वे यह सनिश्चित करें कि छात्र/छात्रा जिस क्षेत्र में आवेदन कर रहा है उसमें उसे कम से कम तीन (03) वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त हो एवं वह इसमें एक निश्चित मानक स्तर का ज्ञान रखता हो। हालांकि यह शर्त सजनात्मक लेखन साहित्यिक कलाओं के क्षेत्र में लाग नहीं हैं। यदि आवश्यक हो तो, आवेदन पत्र की छायाप्रति अथवा सीसीआरटी की वेबसाइट (www.ccrtindia.gov.in) से डाउनलोड की गई प्रति भी प्रयोग में लाई जाती जा सकती है।

एक ही समय में, एक ही गुरू/संस्था के केवल तीन (03) छात्र/छात्राओं के आवेदनों पर विचार किया जाएगा। यदि किसी संस्था में एक से अधिक गुरू/प्रशिक्षक बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं तो भी उस संस्था के तीन (03) बच्चों के आवदेनों पर ही विचार किया जाएगा। आवेदक केवल एक ही विषय में आवेदन करें अन्यथा एक से अधिक विषयों के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों के सभी आवेदन पत्र प्रथम दुष्टि में ही रद्द कर दिए जाएंगे।

सीसीआरटी को आवेदन पत्र भेजने/जमा करने से पूर्व कृपया सुनिश्चितता बरतें कि उपरोक्त सभी मार्गदर्शक बिन्दुओं पर आपकी कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। यह आवश्यक है।

अंतिम तिथि अर्थात् बुधवार, जनवरी 31, 2018 के बाद में प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और सीसीआरटी किसी भी प्रकार के पोस्ट संबंधी विलम्ब के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।





Rishi Vashist Deputy Director

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र Centre for Cultural Resources and Training (Under the aegis of Ministry of Culture, Govt. of India)

Dear Sir/Madam,

Please find attached the application form and copy of the scheme to apply for award of scholarship under Cultural Talent Search Scholarship Scheme 2018-19.

The completely filled application form along with photograph of the child, relevant documents and their specimens of the latest original art work must reach CCRT, New Delhi on or before January 31, 2018.

It may be noted that incomplete application without specimens of the latest original art work in the field of visual and literary arts/self attested copies of required certificates and those received in the old /previous year(s) format and received after the last date will be rejected and no correspondence in this regard will be entertained.

Maximum 650 new scholarships will be awarded every year, subject to availability of funds, which includes 100 scholarships marked for Tribal Culture/Scheduled Tribe (ST) children (who possess valid 'ST' certificate), 20 for Differently Abled children (having valid disability certificate), 30 for the children active in the field of Creative Writing / Literary Arts (having evidence of their original work) and 125 scholarships for the children of Traditional Artists Family TAF -which are continuously practicing art form(s) for the minimum previous 03 generations). As the new scholarships to be awarded are limited in number proportionate to large number of art forms practiced in our country and that also subject to availability of funds, therefore, all the eligible applications will be scrutinized by the Central Selection Committee and then, only the recommended candidates will be informed about the interview/test dates, timings and venue by post only, which may be held from the month of May, 2018 onwards at regional level. Gurus/Parents are requested to ensure that their wards possess minimum (03) years of training and certain level of proficiency in the field, while applying except in Creative Writing/Literary Arts. If needed, then the application form may be photocopied or downloaded from CCRT's website: www.ccrtindia.gov.in

The applications of only three (03) students of a Guru/Institution will be considered for award of Scholarships at a time. If more than one Guru/Teacher is working in the same Institution, then also only three (03) applicants' applications of that Institution will be considered. The applicant must apply in one subject only, as all the applications of those, who apply in more than one subject, would be rejected straight away.

The above mentioned requirement are MANDATORY, therefore, while submitting the form, please ensure that all the points have been attended to.

The application form(s) received after the last day i.e. Wednesday, January 31, 2018 will not be considered and CCRT will not be responsible for any kind of postal delay.

Yours faithfully,

(Rishi Vashist)



सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र

15ए, सेक्टर-7, द्वारका, नई दिल्ली - 110075 15A, Sector-7, Dwarka, New Delhi-110075

दूरभाष (011) - 25309337, 25309338, 25309300, फैक्स 011-25088637 ई-मेल : ddsch.ccrt@nic.in / dir.ccrt@nic.in वेबसाइट www.ccrtindia.gov.in

सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना, 2018-19

10 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में भारतीय संस्कृति एवं कला के क्षेत्र में

छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए योजना

(1/7/2004 तथा 30/06/2008 दोनों दिन सिहत के बीच जन्में बालकलाकारों के लिए)

आवेदन पत्र

	(इस भर कर साध सासा	आरटा, नइ ।दल्ला म	माजए)	
उस कला/हस्तकला का नाम जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति का आवेदन किया जाना है।				Y.,
		(केवल एक ही	क्षेत्र विषय हेतु आवेद	न करे)
1. आवेदक छात्र/छात्रा का नाम				
प्रथम नाम	मध्य नाम	ī		अंतिम नाम
	7			
 तिंग पुरुष जन्मितिथि(अंकों में)] 7	न्त्री [] 		यहाँ पर जिस स्कूल में छात्र/छात्रा पढ़ रहा/रही है, उस स्कूल के हैडमास्टर/प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित, आवेदक की नवीनतम पासपोर्ट आकार की
तारीख	महीना]] []	फोटो चिपकाएं।
(शब्दों में)				
नोट : वर्ष 2018-19 के लिए दी जानी वाली छात्र 4. माता/पिता/संरक्षक का नाम तथा पिन कोड	• •		दिनों सहित) के बीच ज	तमे बच्चे ही आवेदन करने के पात्र हैं
(कृपया प्रत्येक शब्द के बीच में एक खाल		GIV 1/II		
माता का नाम				
पिता का नाम				
संरक्षक का नाम (यदि लागू है तो)श्री/श्रीमती	1/सुश्री			
पता– मकान नं.				
गली				
गाँव/शहर				
डाकघर				
जिला				
			पिन कोड नं.	
राज्य/संघ शासित प्रदेश				
फोन नं. एस.टी.डी. कोड सहित				
मोबाइल नं.				
इ-मेल आइ डी				



Name of the art/craft in which Scholarship is being applied



CENTRE FOR CULTURAL RESOURCES AND TRAINING

15 A, Sector-7, Dwarka, New Delhi-110075 Phones: (011) 25309337/25309338/25309300, Fax: 011-25088637 e-mail: ddsch.ccrt@nic.in / dir.ccrt@nic.in website: www.ccrtindia.gov.in

CULTURAL TALENT SEARCH SCHOLARSHIP SCHEME, 2018-19 SCHEME FOR THE AWARD OF SCHOLARSHIPS IN THE FIELD OF INDIAN ART & CULTURE FOR THE AGE GROUP OF 10 TO 14 YEARS

(for those child artists who are born in between 01.07.2004 and 30.06.2008, both days inclusive)

Application Form (To be submitted directly to the CCRT, New Delhi)

			(A	pply	for on	ly one	e field)								
Name of the candidate (in E	3lock capit	als)														
		ÍΤ		П		T	TT			ТТ	T	П	\top	П		
							$\dagger \dagger$				\top	\Box				
FIRSTNAME				N	/IDDL	ENA	ME		L		LA	STN	AME			
2. Gender Male			Female													
3. Date of Birth (in figures) Date (in words)	Date of Birth (in figures) Date Month Year			Affix recent passport size photograph of the child, duly attested by the Principal / the Headmaster of the School, in which studying.												
Note: Children whose date of birth is in between 01.07.2004 and 30.06.2008 (both days inclusive) are eligible to apply for the award of scholarships for the year 2018-19. 4. Mother's/Father's/Guardian's Name and Present correspondence address with PIN Code (in Block Capitals) (Please leave one box blank between each word)							ligible									
Mother's Name																
Father's Name																
Guardian's Name Mr. / Mrs (if applicable)																
Address	House N	lo.														
Street																
Village/City																
Post office																
DISTRICT									PIN C	ODE						
STATE/U.T.																
PHONE NO. WITH S.T.D. CODE																
MOBILE NUMBER																
E-MAIL ID																
,																

3	g c	3	ĸ.	
1	æ	_	٦	V.
£:		3	v	
٦		-		7

5. 3	भिभावक /संरक्षक की कुल मासिक आय	
	या आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य र् माण-पत्र की कॉपी लगाएँ।	पिछड़ा वर्ग⁄विशेष रूप से बाधित वर्ग से संबंधित है, यदि हाँ, तो लिखें व उपयुक्त
7. 5	म्या आवेदक कम से कम पूर्व में 03 पीढ़ियों से कला(ओं) में अध्	भ्यासरत परंपरागत
a	ज्ला घरानों के कलाकारों के परिवार की चौथी पीढ़ी से संबंधित है	?
य	दि हाँ तो, कम से कम पिछली तीन पीढ़ियों के सदस्यों के नामों स	नहित कला क्षेत्र में उनके
य	ोगदान का पूर्ण विवरण दें। इस चिन्हित वर्ग में शामिल किए जाने	हेतु, एक अलग पेपर शीट
Ч	र संक्षिप्त ब्यौरा देकर संलग्न करें ताकि उसका दावा सिद्ध हो सके	اة
भी प्र होने	माणित किया जाता है कि आवेदक⁄अभ्यर्थी ने केवल एक	आवेदक के संबंध में दी गई उपरोक्त सूचनाएँ तथ्यात्मक दृष्टि से सही व पूर्ण हैं और यह ही विषय/कला रूप में छात्रवृत्ति प्राप्ति के लिए आवेदन किया है और यह गलत साबित इ कर दिए जाने के लिए मेरी जिम्मेदारी होगी एवं इस संबंध में मेरे/आवेदक के द्वारा
		अभिभावक/संरक्षक के हस्ताक्षर
स्थान		(अभिभावक/संरक्षक का नाम)
दिनांव	<u>,</u>	(आममावक/सरक्षक का नाम)
(i)(ii)	पुत्र/पुत्री;श्री/श्रीमती इस स्कूल की स्कूल रिकार्ड के अनुसार आवेदक की जन्मतिथि वर्णित की जा रही है।	्छात्र/छात्रा का नाम) (अभिभावक का नाम) कक्षा में पढ़ रहा/रही है। (अंकों में) (शब्दों में) य द्वारा जारी उक्त जन्म-तिथि के प्रमाण-पत्र की फोटोकॉपी भी आवेदन-पत्र के साथ सलंग्न कर दी
	गई है।	हैडमास्टर/प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर (मुहर सहित)
		नाम तथा स्कूल का पता
£ 8	यान	दूरभाष (एस.टी.डी. कोड सहित)
टि	नांक	फैक्स नं. (एस.टी.डी.कोड सहित)
14		
		इ-मेल पता

			6
5.	Parent's/Guardian	's monthly Income	
6.		cant belongs to SC/ST/OBC/Differently abled Groven and enclose applicable self attested certificate appetent authority	up,
7.	Whether the application of a far If yes, then give	cant belongs to the fourth mily of practicing traditional artists	
	complete details in	ncluding names of the members of previous nerations and their contribution to the art form	
		e-up on a separate sheet of paper m for consideration in this category	
compl found inform	ete. Further, it is also at any stage of the sel ation, then I will be lia	he best of my knowledge and belief that the information certified that applicant has applied for only one art for ection process or even after the award of Scholarship the ble for the rejection of the application form/discontinuation such a case I/Applicant shall not file any suit in the Hon'l	m/field for the scholarship. If, it is at he/she had applied giving false on of the scholarship, by CCRT at
		S	ignature of Parent/Guardian
Place)	-	
Date			(Name in Block Capitals)
8. <u>CE</u>		THE PRESENT SCHOOL WHERE CHILD IS PURSed by the Headmaster/Principal of the School w	
Certif	fied that		
i) Mas	ster /Miss		(Name of the student)
			(Name of the Parent) is
		class of this School.	
ii) The	e date of birth of the	applicant as per the school record, is	(in figures)
-			(in words)
		sted by me, certifying/mentioning the same date o thority, has also been enclosed with the Applicatio	
		Signature of the Principal / Headmaster w	ith seal
		Name of the Principal/Headmaster	
		Complete School Postal Address	
Pla	ace		
		Telephone no. (with STD code)	
Da	ate	Fax no. (with STD code) e-mail address	
		C-111aii auuless	

9. केवल स्वयं प्रशिक्षण देने वाले वर्तमान गुरू/अध्यापक द्वारा प्र	शिक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र
i) मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि श्री/सुश्री	(छात्र/छात्रा का नाम)
	(कला/क्षेत्र का नाम) में, मेरे साथ / संस्थान में
	वर्ष / वर्षों से (शब्दों में) प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा/रही है।
इसने पूर्व में अन्य गुरु(ओं)/संस्थान(ओं) में भी उपरोक्त कला/क्षेत्र में वर्ष(ओं)(शब्दों में) प्रशिक्षण प्राप्त किया है।	वर्ष (ओं) (अंकों) में/
	वर्ष(ओं)(अंकों) में/ वर्ष(ओं)(शब्दों में)
का प्रशिक्षण प्राप्त हो चुका है। पुराने गुरु/संस्थान से प्राप्त प्रशिक्षण प्रम	ाण पत्र भी संलग्न है।
ii) मेरे शिष्य/शिष्या द्वारा अभी तक लिए गए प्रशिक्षण का विस्तृत विव	ारण निम्न प्रकार है :-
नोटः (यदि स्थान कम है तो अलग से भी एक सादे पेपर/लैटर हैड फ	र प्रशिक्षण का विस्तृत ब्यौरा देते हुए गुरु/प्रशिक्षक के हस्ताक्षर सहित लगाऐं।)
iii) एक गुरु/अध्यापक के नाते मेरा संक्षिप्त जीवन-वृत्त/बायोडॉटा निम्न	प्रकार हैं:-
नाम-डॉ/श्री/श्रीमती/सुश्री	
जन्मतिथि/आयु	
शैक्षिक योग्यता(एं)	
विशिष्ट विशेषज्ञता/कार्य कुशलता का क्षेत्र	
सम्बद्ध संस्था(ओं) का नाम	
प्राप्त सम्मान/पुरस्कार	
आपके द्वारा लिखित लेखों/पुस्तक(ों) का संक्षिप्त ब्यौरा	
अन्य जानकारी	
नोट: (यदि स्थान कम है तो उपरोक्त सभी बिंदुओं को शामिल व	
iv) मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि आवेदक में सांस्कृतिक स्रोत एव के अंतर्गत विशेष प्रशिक्षण को पूरा करने की क्षमता एवं योग्यता है और इन्हें	i प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा कार्यान्वित सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना कहीं से कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही है।
और मैंने अपना बायोडॉटा तथा छात्र/छात्रा को दिए गए प्रशिक्षण का	ार्ष में तीन (03) से अधिक छात्रों की इस छात्रवृत्ति हेतु सिफारिश नहीं की है पूर्ण ब्यौरा दर्शाता हुआ प्रमाण पत्र भी संलग्न कर दिया है। मैं इस संबंध में भी तीन से अधिक उम्मीदवार, देश के किसी भी क्षेत्र अथवा मेरी संबद्ध संस्था से हैं तो उनके सभी आवेदन-पत्र सीधे तौर पर निरस्त कर दिए जाएं।
	(गुरु/प्रशिक्षक के हस्ताक्षर)
	गुरु∕संस्था का पूरा नाम व पता, संस्था की मुहर सहित (यदि है तो)
	श्री/श्रीमती/सुश्री :
	чп:
	दूरभाष (एस.टी.डी. कोड सिंहत)
दिनांक :	मोबाइल नं.
स्थान :	इ-मेल पता

9		CERTIFICATE FROM THE DIRECTLY	HE PRESENT GURU/TEACHER	WHO IS IMPARTING TRAINING				
	I)	has been undergoing tra the art/craft) with me/my	saining iny Institution foryear y years (in words).	(name of the child)(name of the child) rs (in figures) /				
			gone training with other Guru(s)/Inst ate from the former Gurus/Institution	titution(s) forn's is also enclosed.				
			od of his/her training in above said	art form is(ir years.				
	II)	The details of training re	eceived by my disciple in the art form	m are as follows:-				
	(Note	e : If space is insufficient,	then please attach a separate she	eet duly signed by Guru/ Teacher)				
	III)	As a Guru/Tacher, my Bio-date/Credentials are as follows:- Name- Dr. Mrs. Mrs./Ms Educational Qualification(s)						
	(Note		nt, then please attach a separate	e Bio-data covering all the above				
	IV)	I also certify that the applicant has potential and talent to pursue specialized training in the field applied for under the Cultural Talent Search Scholarship Scheme implemented by Centre for Cultural Resources & Training (CCRT), New Delhi and he/she is not getting any other scholarship from any other source, in the same art form.						
	V)	I further certify that I have not recommended more than three (03) candidates for the above sai scholarship CTSS Scheme 2018-19, for this year and I have enclosed my latest Bio-data alon with a Certificate giving details of training imparted to him/her. I agree and give my consent that more than (03) three candidates apply from anywhere in the country either under my signature of through any other Guru/Teacher of my Institution, I am associated with, then all their application will be summarily rejected.						
			Signature of the Guru/Teacher					
			Complete Postal Address: Mr./Mrs	s./Ms				
			`					
	Place	2						
			T OTD					

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृति योजना 2018-19

माता-पिता / गुरु-अध्यापक के लिए आवेदन पत्र को ठीक से भरने हेतु अनुदेश (इनमें से किसी भी अनुदेश(ों) का पालन न करने पर आवदेन पत्र अस्वीकृत भी हो सकता है)

- 1. सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृति योजना राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वित की जाती है। हमारे देश में सैंकड़ों कला शैलियाँ प्रचलन में है, चूँकि उपलब्ध छात्रवृतियों की संख्या सीमित है, अत: केवल उत्कृष्ट एवं प्रतिभाशाली छात्र/छात्रा ही आवेदन करें।
- 2. वर्ष 2018-19 के लिए दी जाने वाल छात्रवृति हेतु 01/07/2004 तथा 30/06/2008 (दोनों दिनों सिहत) के बीच जन्मे बच्चे ही आवेदन करने के पात्र हैं। अत: आवेदन करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप के बच्चे का जन्म इन दोनों तिथियों या उनके बीच में ही हुआ हो।
- 3. आपके बच्चे की जन्म तिथि, उसके स्कूल रिकार्ड के अनुसार संबंधित हैडमास्टर/प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है साथ ही साथ रजिस्ट्रार (जन्म व मृत्यु) या किसी अन्य सक्षम अधिकारी के कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण-पत्र की स्वयं सत्यापित फोटोकापी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना भी अत्यन्त आवश्यक है।
- 4. जिस कला क्षेत्र में आपका बच्चा आवेदन करना चाहता है, उसमें किसी गुरु/अध्यापक या सस्था में, आवेदन करने से पहले आपके बच्चे को कम से कम तीन (03) वर्षों का प्रशिक्षण दिलवाना अनिवार्य है। इस बाबत गुरु/अध्यापक द्वारा आवेदन पत्र के अंतिम पृष्ठ पर दिए गए प्रमाण-पत्र को पूर्ण रूप से भरकर बच्चे को दिए गए प्रशिक्षण का ब्यौरा व अपने जीवन-वृत्त/बायोडॉटा का विवरण देते हुए स्वहस्ताक्षरित तथा अपनी संस्था की मुहर (यदि उपलब्ध है तो) लगाकर भेजना आवश्यक है।
- 5. चूँिक यह एक राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृति हैं, अत: गुरु/अध्यापक/अभिभावक यह सुनिश्चित करें कि जिन छात्रों/छात्राओं का जिस भी कला क्षेत्र में आवेदन करा रहे हैं, उसमें उन्हें आवेदन करने से पूर्व एक निश्चित मानक स्तर का ज्ञान प्राप्त हो। कृपया नोट करें कि एक ही समय में, एक ही गुरु/अध्यापक/संस्था के केवल तीन (03) ही छात्रों/छात्राओं के आवेदन मंजूर किए जाऐंगे। यदि किसी सस्था में एक से अधिक गुरु/अध्यापक प्रशिक्षण दे रहें हैं तो भी उस सस्था के केवल तीन (03) ही आवेदन पत्र स्वीकार किए जाऐंगे। अत: ऐसे मामलों में तीन (03) से अधिक आवेदन पत्रों को, उनकी प्राप्ति तिथि के आधार पर, प्रथम दृष्टि में ही नामन्जूर कर दिया जाएगा।
- 6. लोक/परम्परागत व स्वदेशी कलाओं में आवेदन करने वाल बच्चों को संबंधित कॉलम में कला का वास्तविक /प्रादेशिक/आंचलिक नाम और संबंधित राज्य/प्रदेश, जहाँ वह कला शैली प्रचलित है, का वर्णन करना आवश्यक है।
- 7. जो आवेदक, जनजातीय संस्कृति कला-क्षेत्र/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें अपने आवेदन पत्र के साथ, किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी, अनुसूचित जनजाति के, स्वयं सत्यापित प्रमाण-पत्र की फोटोकापी लगाना आवश्यक है।
- 8. जो आवेदक, दिव्यांग बच्चों के वर्ग के अन्तर्गत, आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें अपने आवेदन पत्र के साथ, किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी, अपने बच्चे के दिव्यांग प्रमाण-पत्र की स्वयं सत्यापित फोटो कापी लगाना आवश्यक है।
- 9. जो आवेदक, परम्परागत घरानेदार कलाकारों की श्रेणी में आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें एक अलग सादे पेपर पर, अपने परिवार की कम से कम तीन (03) पीढ़ियों के कलाकारों का नाम व विभिन्न कलाक्षेत्रों में उनका योगदान तथा बच्चे के साथ उनके रिश्ते को दर्शाता हुआ स्वयं हस्ताक्षरित संक्षिप्त विवरण संलग्न करना आवश्यक है।



Instructions for the Parents/Gurus to fill up the application form properly (Non-Compliance of any of these instruction(s) may lead to rejection of the application form):

- 1. The Cultural Talent Search Scholarship Scheme is implemented at the national level. There are hundreds of art forms practiced in our country. Since the number of scholarships available are limited, only exceptionally talented and outstanding students need to apply.
- 2. Children whose date of birth is in between 01.07.2004 and 30.06.2008 (both days inclusive) are eligible to apply for the award of scholarships for the year 2018-19. Please ensure before filling the form that your child is born on either of these dates or in between these dates.
- 3. The exact Date of Birth as per the School record must be certified by the Principal/Headmaster only in the application form and a self attested photocopy of Date of Birth Certificate issued by the Office of the Registrar (Birth & Death) or any other competent authority must be attached with the application.
- 4. Minimum three (03) years' training in the art form in which scholarship is being applied, either with a guru or in an institution is essential, for the same, Guru/teacher must fill up the duly signed details regarding the training imparted and his/her profile/bio-data on the last page of the application form with a seal (stamp) of institution (if available). However, the children applying in the field of Creative Writing/Literary Arts are not required to submit these details compulsorily.
- 5. As this is a national level scholarship, the Gurus/Teachers/Parents must ensure that the applicants possess certain level of proficiency in the field while applying. Only three (03) students of a Guru/Teacher/Institution will be considered for award of scholarships at a time. If more than one Guru/teacher is working in the same Institution, then also only three (03) applications of that Institution will be considered for award of scholarship(s). Therefore, in all such cases, if more than three (03) application(s) are received, then all of them would be rejected straight away, on the basis of their receipt date(s).
- 6. The applicant must apply only in one art form, because only once and one scholarship could be availed under the scheme. All applications of those, who apply in more than one art form would be rejected straight away.
- 7. Applicants applying under the Tribal Culture/Scheduled Tribe (ST) category, must attach the self-attested photocopy of their valid Scheduled Tribe (ST) certificate, issued by any competent authority.
- 8. Applicants applying under the Differently Abled Children category, must attach the self-attested photo copy of the their Disability Certificate, issued by any competent authority.
- 9. Applicants applying under the Traditional Artists Family (TAF) category, must attach a duly signed brief write-up on a separate sheet of paper giving complete details of minimum three (03) generations and their contribution to any art form.

- 10. जो आवेदक, अपने बच्चे का, सृजनात्मक लेखन/साहित्यिक कलाओं के क्षेत्र में आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें अपने बच्चे द्वारा स्वरचित नवीन मूल कार्यों (जैसे कि किवताएँ, कहानियाँ, गद्य, पद्य, नाटक व निबन्ध आदि) के कम से कम तीन (03) नमूने, उसके स्कूल के हैडमास्टर/प्रधानाचार्य द्वारा यह प्रमाणित कराते हुए कि ये उनके बच्चे की मूल रचनाएँ हैं, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
- 11. जो आवेदक चित्र कला (पेंटिंग) के कला क्षेत्र में आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें अपने अपने बच्चे द्वारा स्वयं बनाई हुईं, तीन (03) नवीनतम पेंटिंग/चित्र, उसके गुरु-अध्यापक द्वारा यह प्रमाणित कराते हुए कि ये उनके बच्चे की मूल कला-कृतियाँ हैं और उसमें उसके गुरु/अध्यापक का कोई योगदान नहीं है, मूल रुप में सलंग्न करना आवश्यक है। कृपया नोट करें कि चित्रों के फोटोग्राफ्स मान्य नहीं होंगे। मूर्तिकला/परम्परागत हस्तकला के क्षेत्र में आवदेन करने वाले बच्चों को अपनी खुद की बनाई हुई नवीनतम कलाकृतियों के तीन (03) फोटोग्राफ्स, उनके पीछे की ओर या अलग से एक सादे पेपर पर गुरु/अध्यापक से हस्ताक्षरित उपरोक्त प्रमाण-पत्र सिहत संलग्न करना आवश्यक है।
- 12. सीसीआरटी, विभिन्न कला क्षेत्रों में प्रतिभाशाली छात्रों/छात्राओं के आवेदन पत्र प्राप्त करने में, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राज्य सरकारों के शिक्षा बोर्डों एवं अन्य गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थानों की भी मदद ले सकता है।
- 13. छात्र/छात्रा केवल एक ही विषय में आवेदन करें क्योंकि योजना के अन्तर्गत केवल एक बार और एक ही कला क्षेत्र में छात्रवृति प्राप्त की जा सकती है। एक से अधिक कला-क्षेत्रों में आवेदन करने वाले आवेदकों के सभी आवेदन पत्र प्रथम दृष्टि में ही रद्द कर दिए जाऐंगें।
- 14. अपूर्ण या पुराने वर्षों के आवेदन प्रपत्रों में भरे हुए फार्म और आवश्यक दस्तावेजों/कार्य नमूनों के बिना प्राप्त आवेदन पत्रों को केन्द्रीय चयन सिमित के समक्ष रखे बिना ही प्रथम दृष्टि में रद्द कर दिया जाएगा।
- 15. जिनको सीसीआरटी अथवा अन्य किसी सस्था से किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की छात्रवृति प्राप्त हो रही है वे नई अथवा सीसीआरटी की छात्रवृति के नवीनीकरण के लिए पुन: आवेदन न करें।
- 16. इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृति हेतु चयन हो जाने की स्थिति में कोई भी छात्रवृति प्राप्तकर्ता किसी अन्य सस्था से, संबंधित कला क्षेत्र में, कोई अन्य छात्रवृति प्राप्त नहीं कर सकेंगे।
- 17. पूर्ण एवं विधिवत रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र सीसीआरटी, नई दिल्ली में अंतिम तिथि या उससे पहले अर्थात 31.01.2018 तक अवश्य पहुँच जाना चाहिए। सीसीआरटी किसी भी प्रकार के पोस्टल/पत्राचार विलम्ब हेतु जुम्मेवार नहीं होगा और 31.01.2018 के बाद प्राप्त आवदेन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 18. केवल केन्द्रीय चयन सिमित द्वारा अनुशंसित छात्रों/छात्राओं को ही साक्षात्कार की तिथि, समय व स्थान के बारे में डाक द्वारा सूचित किया जाएगा तथा उनके नाम साक्षात्कार/परीक्षा सूची के साथ सीसीआरटी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किए जाऐंगें, जो कि संभवत: मई, 2018 से प्रादेशिक स्तर पर आयोजित किए जाऐंगे। जिन आवेदकों के आवेदन पत्र, सिमित द्वारा नामंजूर कर दिए जाऐंगे, सीसीआरटी उनको सूचित करने या उनके साथ किसी भी किस्म का पत्राचार करने में असम्थ होगा।

- (12)
 - 10. Applicants applying in the field of Creative Writing/Literary Arts, must attach the three (03) specimens of their latest original work (such as poems, stories, prose, play and essay etc.) duly attested by the Principal/Headmaster of their respective schools. These compositions of the candidates may be in any language recognized by the Constitution of India in its eighth schedule including English.
 - 11. Applicants applying for Painting must attach three (03) specimens of their latest original art work and those in Crafts, Sculpture etc. should attach three (03) photographs of their latest original art objects, duly certified by their Guru/Teacher on the backside or on a plain paper separately, that these are the art work made by the applicant only and not aided by them. Please note that photographs of Paintings will not be considered.
 - 12. The CCRT may take the help of Central Board of Secondary Education, Education Boards of State Govts. and other Non-Governmental Voluntary Organizations in identifying the talented students in various field (s).
 - 13. Students in folk, traditional and indigenous art forms must mention, the exact local/regional name of the art form and also the State/Region where it is practiced.
 - 14. Incomplete and applications in old formats/forms and those without required documents, art specimens will be rejected straight away and will not be placed in front of Central Selection Committee.
 - 15. Those who are already receiving any type of scholarship from CCRT or any other Institution(s) in any art form must not apply again either for new scholarship or for extension of the old CCRT Scholarship.
 - 16. A scholarship holder shall not receive any scholarship/stipend from any other Institution in concerned art form in case he/ she is selected for CTSS Scheme.
 - 17. Last date for submission of complete and duly filled application form in the CCRT, New Delhi is 31.01.2018. CCRT shall not be responsible for any postal delay/non-receipt of application due to some other reason(s) in its office and the applications received after the last date i.e. 31-01-2018, will not be considered.
 - 18. Only those applicants, whose names are recommended for Interview/Test by Central Selection Committee, will be informed about the date, timings and venue of the interview/test by post and their names with Interview/Test Schedule will be displayed on CCRT's website also, which may be held from the month of May, 2018 onwards at Regional Level. It will not be possible for the CCRT to inform/correspond with the applicants, rejected by the Committee.



सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली

उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य मान्यता प्राप्त स्कूलों अथवा अन्य परंपरागत निष्पादन कलाओं में अभ्यासरत परिवारों से संबंधित, निर्धारित उचित जन्म तिथि के अनुसार 10 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में, चयनित किए जाने वाले प्रतिभाशाली बच्चों को विशेष प्रशिक्षण हेतु सुविधाएं प्रदान करना है ताकि वे विविध सांस्कृतिक क्षेत्रों जैसे संगीत, नृत्य, नाटक, चित्रकला, शिल्पकला, हस्तकला व साहित्यिक कला आदि में अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें, विशेषकर उन दुर्लभ कला रूपों पर बल देते हुए जो समाप्त होने की प्रक्रिया की ओर अग्रसर हैं।

छात्रवृत्ति का स्वरूप

वित्त की प्राप्यता के अनुसार, प्रति वर्ष प्रदान की जाने वाली नई छात्रवृत्तियों की अधिकतम संख्या 650 होगी, जिसमें से 100 छात्रवृत्तियाँ जनजातीय संस्कृति कला क्षेत्रों व अनुसूचित जनजाति (ST) बच्चों (जिनके पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जनजाति का वैद्य प्रमाण पत्र है), 125 छात्रवृत्तियाँ को परंपरागत कला घरानों के बच्चों (जो पूर्व में कम से कम लगातार तीन पीढ़ियों तक किसी भी कला क्षेत्र में सिक्रय हैं), 20 छात्रवृत्तियाँ दिव्यांग बच्चों (जिनके पास वैद्य दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है) तथा 30 छात्रवृत्तियाँ सृजनात्मक लेखन/साहित्यिक कलाओं के क्षेत्र में आवेदन करने वाले बच्चों हेतु (जिनके पास अपने मूल कार्य के प्रमाण हैं) चिन्हित की गई हैं। शेष 375 छात्रवृत्तियाँ बाकी सभी श्रेणी/वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए होंगी।

इस योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त स्कूलों में अध्ययनरत् एवं निर्धारित उचित वर्णित जन्म तिथि के अनुसार 10 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के प्रतिभाशाली छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति हेतु पात्र होंगे।

जिन छात्रों के अभिभावकों की कुल मासिक आय ₹ 8000/-(₹ आठ हजार) से कम है, उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करते समय वरीयता दी जाएगी। हालांकि सभी आवेदकों के संबंध में प्रतिभा और क्षमता के मापदण्ड को विचार में रखा जाएगा।

अवधि

योजना के अंतर्गत प्रदान की गई छात्रवृत्ति आरम्भ में दो वर्ष के लिए होगी और छात्र के प्रथम स्नातक शिक्षा स्तर पूर्ण कर लेने अथवा बीस वर्ष की उम्र तक (दोनों में से जो पहले हो) छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता की संतोषजनक प्रगित को ध्यान में रखते हुए छात्रवृत्ति को प्रत्येक दो वर्ष बाद नवीकृत किया जाएगा। तथापि यदि अर्धवार्षिक प्रगित रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत नहीं की गई तो कभी भी छात्रवृत्ति को बंद करने पर विचार किया जा सकता है।

छात्रवृत्ति का भुगतान, सीसीआरटी द्वारा निर्धारित या संस्था में अनुमोदित पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश पाने की तिथि से अथवा अनुमोदित गुरू के पास जाने की तिथि से, (दोनों में से जो बाद में हो) प्रारंभ होगा। गुरू के पास अध्ययन करने वालों के मामलों में, गुरू के पास अध्ययन करने की तिथि पाठ्यक्रम प्रारम्भ होने की तिथि मानी जाएगी।

आवेदन पत्र

छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में ही, अभिभावक द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसे छात्र/छात्रा जिस स्कूल में अध्ययनरत है, उस स्कूल एवं गुरू/अध्यापक द्वारा प्रमाणित कराने के पश्चात् ही अंतिम तिथि तक सीधे सी.सी.आर.टी. नई दिल्ली में प्राप्त हो जाने चाहिए। सीसीआरटी, विभिन्न कला क्षेत्रों में प्रतिभाशाली छात्रों/छात्राओं के आवेदन पत्र प्राप्त करने में, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राज्य सरकारों के शिक्षा बोर्डों एवं अन्य गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थानों की भी मदद ले सकता है।

चयन

साक्षात्कार/परीक्षा में बुलाए जाने वाले छात्रों के निर्धारण हेतु सीसीआरटी एक केन्द्रीय चयन सिमिति गठित करेगा, जिसका निर्णय अंतिम व मान्य होगा। केवल इस सिमिति द्वारा उपयुक्त बताए गए छात्र/छात्राओं को ही साक्षात्कार/परीक्षा की तिथि, समय तथा स्थान के बारे में डाक द्वारा सूचित किया जाएगा, जिनके मई, 2018 से प्रादेशिक स्तर पर आयोजित किए जाने की संभावना है।

जिन आवेदकों के आवेदन पत्र सिमित द्वारा नामंजूर कर दिए जाऐंगे, सीसीआरटी उनके साथ किसी भी किस्म का पत्राचार करने में असमिथ होगा। साक्षात्कार/परीक्षा में भाग लेने वाले बच्चों की प्रतिभा का मूल्यांकन, 01 (एक) से 10 (दस) अंकों के पैमाने पर, क्षेत्रीय चयन सिमित के प्रत्येक सदस्य द्वारा अलग-अलग किया जाएगा और बच्चों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के क्रम में ही छात्रवृत्तियाँ आवंटित की जाएंगी, जिसकी संख्या का केवल नियमनिष्ठ योग्यता के आधार पर निर्धारण उस वित्तिय वर्ष में, उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

OBJECT

The object of the scheme is to provide facilities to outstanding talented children selected in the age group of 10 to 14 years (as per the cut off eligibility dates), studying either in recognized schools or belonging to families practicing traditional performing arts for getting specialized training in various cultural fields such as traditional forms of music, dance, drama, painting, sculpture, crafts and literary arts, laying special emphasis on rare art forms, which are in the process of becoming extinct.

NATURE OF SCHOLARSHIP

Subject to availability of funds, the maximum number of fresh scholarships to be awarded every year will be 650, of which 100 scholarships are marked for Tribal Culture/Scheduled Tribe children (those who possess a valid 'ST' certificate issued by competent authority),125 are reserved for children of families practicing traditional arts, etc. (TAF- which are continuously practicing art form(s) for the minimum previous 03 generations), 20 for differently abled children (having valid disability certificate) and 30 in the field of Creative Writing/Literary Arts (for those who have evidences of their original work). The remaining 375 scholarships will be treated as general scholarships.

The talented children in the age group of 10 to 14 years (as per the cut off eligibility dates), studying in the recognized schools will be eligible to apply under the Scheme.

The children whose parent's/guardian's total monthly income is less than ₹ 8000/- only (₹ Eight Thousand Only) per month will be given preference for the award of scholarship. However, the criteria of talent and potential will be taken into consideration for all the candidates.

DURATION

The Scholarship awarded under the scheme will be initially for two years at a time and is renewable after every two years till the completion of the first university degree stage of education or up to the age of 20 years, whichever is earlier, subject to the awardee maintaining satisfactory progress. However, if the Half-Yearly Progress Reports are not submitted in time regularly, then the decision regarding discontinuation can be taken any time without prior notice, as and when required.

The payment of scholarship will start from the date which may be specified by the CCRT or from the date on which the admission is obtained in the approved course in an Institution or with the approved Guru, whichever is later.

APPLICATION

Application for the scholarship should be submitted by the parents/guardians in the prescribed latest form in one art form only, after getting necessary recommendations from school/ institution and Guru/teacher, where the applicant is studying and receiving training respectively and must be received directly in the CCRT, New Delhi by the prescribed last date. The CCRT may take the help of Central Board of Secondary Education, Education Boards of State Govts. and other Non-Governmental Voluntary Organizations in identifying the talented students in various field (s).

SELECTION

For recommending the candidates to be called for Interview/Test, the CCRT will constitute a Central Selection Committee, whose decision shall be final. Only the recommended candidates will be informed by post about the dates, timings and venue of the Interviews/Tests which are expected to be conducted at Regional level from the month of May, 2018 onwards.

The children appearing for the Interviews/Tests for the award of new scholarships will be assessed/evaluated on the scale of 1(one) to 10(ten) marks by each Expert Committee Member and children will be recommended for scholarship(s) on the basis of total marks obtained by them, strictly in order of 'Merit', subject to availability of number(s) of scholarships(s), for that year.

प्रशिक्षण

चयनित छात्र/छात्रा को प्रशिक्षण हेतु अभिभावक/संरक्षक द्वारा या तो ऐसे उचित संगठन में रखा जाएगा, जिसमें शैक्षिक योग्यता की सुविधाओं के साथ उन सांस्कृतिक क्षेत्र के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था हो, जिसके लिए उसे छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, अथवा एक स्वीकृत गुरू/अध्यापक/कला संस्थान के पास संबंधित विषय में उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। अध्ययन के पाठ्यक्रम तथा गुरू/अध्यापक के चयन में सीसीआरटी का निर्णय अंतिम होगा।

छात्रवृत्ति का मूल्य

- (क) छात्रवृत्तिधारक के लिए, छात्रवृत्ति का मूल्य ₹ 3600/- (₹ तीन हजा़र छ: सौ केवल) प्रतिवर्ष होगा।
- (ख)विशेष प्रशिक्षण के लिए या गुरू/अध्यापक/कला संस्थान के लिए वास्तव में अदा की गई प्रशिक्षण शुल्क की राशि की प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता को ऊपर (क) में दर्शायी गई छात्रवृत्ति की राशि के अतिरिक्त होगी जिसकी अधिकतम सीमा ₹ 9000/-(₹ नौ हजार केवल) प्रतिवर्ष होगी।

छात्रवृत्ति का सारा भुगतान सीधे ही छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं के प्राधिकृत अभिभावक/संरक्षक के बैंक खाते में एनईएफटी/ईसीएस/आरटीजीएस के द्वारा किया जाएगा तथा उन्हें गुरू/अध्यापक के निर्धारित शिक्षा शुल्क का भुगतान कर उनके द्वारा व स्वहस्ताक्षरित भुगतान प्राप्ति रसीदें भेजनी होंगी।

प्रगति रिपोर्ट

छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता की अर्धवार्षिक प्रगित रिपोर्ट संबंधित संस्था/अध्यापक द्वारा सीसीआरटी को निर्धारित प्रपत्र में भेजनी होगी। 01 जनवरी से 30 जून को समाप्त होने वाली पहली अर्धवार्षिकी की रिपोर्ट, दिनांक 15 जुलाई तक तथा 01 जुलाई से 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाली दूसरी अर्धवार्षिकी की रिपोर्ट, अगले वर्ष की 15 जनवरी तक सीसीआरटी को अवश्य प्राप्त हो जानी चाहिए। यदि छात्र की दो अर्धवार्षिक रिपोर्ट लगातार असंतोषजनक होंगी अथवा समय पर प्राप्त नहीं होंगी तब छात्रवृत्ति को समाप्त कर दिया जाएगा और इस बारे में केन्द्र का निर्णय अंतिम होगा।

अन्य शर्तें

जहाँ कहीं अपरिहार्य कारणों से गुरू/अध्यापक बदलने की आवश्यकता होगी, वहाँ नए गुरू के संबंध में सीसीआरटी को गुरू/अध्यापक बदलने का न्यायोचित कारण बताते हुए निर्धारित प्रवेश रिपोर्ट प्रपत्र में पूर्वानुमति लेना आवश्यक होगा।

यदि छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता सीसीआरटी की पूर्वानुमित के बिना छात्रवृत्ति की अवधि पूर्ण होने के पहले ही प्रशिक्षण प्राप्त करना बंद कर दे, तो ऐसी स्थिति में सीसीआरटी को उसकी छात्रवृत्ति तुरन्त प्रभाव से रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा और उस स्थिति में छात्रवृत्ति पूर्ण होने पर मिलने वाले प्रमाण-पत्र को भी जारी नहीं किया जाएगा।

छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना की अवधि के दौरान संबंधित कला क्षेत्र में कोई भी अन्य छात्रवृत्ति/प्रशिक्षण शुल्क प्राप्त नहीं करेगा।

सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत किसी भी राज्य/संघीय प्रदेश हेतु किसी आरक्षण का प्रावधान नहीं है।

इस योजना से संबंधित कोई भी विवाद, शिकायतें व कोर्ट के मामले, दिल्ली उच्च न्यायालय / दिल्ली स्थित न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत ही मान्य होगें व केवल दिल्ली स्थित न्यायालय में ही निपटाए जाऐंगे।

सीसीआरटी को किसी भी समय सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना संबंधी नियमों व शर्तों में ऐसे परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार है जो कि इस योजना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक होंगे।



TRAINING

The selected child shall be placed for training by the parent/guardian either in a suitable institution in which facilities for academic studies as well as for training in the particular cultural field for which the child is awarded the scholarship, are available or he/she shall be placed for training in the field concerned under an approved Guru/teacher/ Insttn. while being allowed to pursue the academic studies in a recognized school. The decision of the CCRT on the selection of the course of study and the Guru/teacher shall be final.

VALUE OF SCHOLARSHIP

- I) The value of scholarship will be ₹ 3600/- (₹ Three thousand Six Hundred Only) per year.
- ii) The actual fee paid for the specialized training to the Institution or to the Guru/teacher shall be reimbursed to the scholarship holder in addition to the value of scholarship indicated under (i) above, subject to a ceiling of ₹ 9000/- (₹ Nine Thousand only) per year.

All payments of scholarship shall be made in the bank account of authorized parent/guardian of scholarship holders, by NEFT/ECS/RTGS directly, who shall be responsible to pay the approved tuition fee to the Guru/teacher and send the payment receipts duly signed by him and Guru/Teacher also.

PROGRESS REPORT

The institution/Guru/teacher under whom the scholarship holder is placed for training shall be required to send detailed half yearly progress report(s) in respect of the scholars to the CCRT, New Delhi in the prescribed format only. The progress report for the first half year from 1st January to 30th June, should reach CCRT by 15th July and for the second half year from 1st July to 31st December, by 15th January of the next year positively. If the progress report of the student is continuously unsatisfactory for the two half yearly or not received in time, then the scholarship may be discontinued, and the decision of the CCRT shall be final.

OTHER CONDITIONS

In case, where a change of the Guru/teacher becomes necessary after the commencement of scholarship, due to unavoidable circumstances, prior approval of the CCRT for a new Guru/teacher in the prescribed Joining Report Proforma and justifying the reason(s) for change, must be taken.

In case the scholarship holder discontinues the training before the expiry of the period of scholarship without prior permission from the CCRT and proper justification for discontinuation, the CCRT shall have the right to cancel the scholarship with immediate effect and the certificate to be issued by the CCRT after completion of the Scholarship, will not be issued in such cases.

A scholarship holder shall not receive any other scholarship/stipend in the concerned art form without the prior approval of the CCRT, during the tenure of the CTSS Scheme Scholarship.

There is no State/UT wise quota for grant of Scholarships under the Cultural Talent Search Scholarship Scheme.

All disputes and complaints including court cases etc. related with Cultural Talent Search Scholarship Scheme shall be subject to the sole jurisdiction of the Delhi High Court only/Court situated in Delhi only.

The CCRT reserves the right to introduce, at any time, such changes in the terms and conditions of the Scheme as may be found necessary to serve the objectives of the Scheme.